D (40)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 86 वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान : उ0प्र0 कृषि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
तिथि : 19 जुलाई, 1992
समय : 11.00 बजे पूर्वान्ह

उपस्थिति :

1.	डा0 उदयबीर सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 बी0डब्लू0 अम्बेकर, कृषि निदेशक	सदस्य
3.	डा0 धर्मेन्द्र मिश्रा, निदेशक पशुपालन	सदस्य
4.	डा0 पी0 बी0 माथुर, उप - महानिदेशक ।शिक्षा। आईसीएआर	सदस्य
5.	डा0 किरन सिंह, सहायक महानिदेशक ।ए0एस0। आईसीएआर	सदस्य
6.	पदमश्री रानी लीला राम कुमार भार्गव,	सदस्य
7.	चौधरी विक्रम सिंह, भूतपूर्व विधायक	सदस्य
8.	श्री अतर सिंह यादव,	सदस्य
9.	श्री सुखराम सिंह, एम0एल0सी0	सदस्य
10.	श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियंत्रक	सचिव

-x-

86: 1 प्रबन्ध मण्डल की 85 वीं बैठक दिनांक 3.1.1992 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही निम्नलिखित संशोधन एवं निर्देश के साथ अनुमोदित कर दी :-

।क। मद सं0 85:4 के संदर्भ में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि गृह विज्ञान कालेज में तब तक नयी छात्राओं की भर्ती न की जाये जबतक कि नये शैक्षिक पदों पर नियुक्ति न हो जाये ।

To be modified अनुमोदित

।ख। मद सं0 85:9 के संदर्भ में बोर्ड ने क्षोभ व्यक्त किया कि बोर्ड द्वारा पारित इस प्रस्ताव को जिसमें बहुत कम धनराशि निहित थी उसे वित्त समिति ने अनुमोदित नहीं किया । बोर्ड ने "स्वच्छकारों को रूपया ~~10/- से~~ रू0 25/- स्वच्छकार भत्ता दिये जाने पर विचार" नामक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया ।

।ग। मद सं0 85:17 "विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को रू0 35/- के स्थान पर रू0 100/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिये जाने की स्वीकृति पर विचार". के संदर्भ में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि वित्त उपसमिति की बैठक शीघ्र बुलाकर इसपर विचार कर लिया जाये ।

क्रमशः ... 2

(39)

86:2 डा० जगबीर सिंह, सिन्धू को 1-9-91 से 2 वर्ष की अवधि के असाधारण अवकाश एवं धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० सिन्धू को अन्तिम रूप से 31-8-92 तक धारणाधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की तथा निर्देश दिया कि डा० सिन्धू को इस आशय की नोटिस तुरन्त भेज दी जाये कि यदि वे 1-9-92 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करते तो इनका धारणाधिकार स्वयं समाप्त हो जायेगा। नोटिस पंजीकृत ए०डी० डाक द्वारा भेजी जाये। साथ ही धारणाधिकार सुरक्षित रखने के संदर्भ में एक नीति निर्धारित करके आगामी बैठक में रखी जाये।

86:3 कुक्कुट प्रजनन सम्बन्धी योजना को चलाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अण्डर टेकिंग देने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया कि उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्तियों पर लगाई रोक के कारण परिषद से स्वीकृत होने वाली तमाम परियोजनाओं का विश्वविद्यालय द्वारा समुचित कार्यान्वयन न किया जा सकेगा। अत: परिषद की योजनाओं में रिक्त पड़े पदों एवं सृजित होने वाले नये पदों को भरने हेतु लगी रोक के संदर्भ में शासन को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा जाये कि इन योजनाओं में पदों को भरने की अनुमति प्रदान करें।

86:4 डा० के०बी० शर्मा, सह आचार्य, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा के कैंसर की बीमारी के इलाज हेतु धनराशि की स्वीकृति।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० शर्मा को आपरेशन, अस्पताल एवं दवाओं पर व्यय हुई रू० 45000/- के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी।

86:5 डा० शारदा प्रसाद तिवारी, कुलसचिव की नियुक्ति ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में कुलसचिव के पद पर हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.1.92 से सेवा की निवृत्ति तक का धारणाधिकार सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने 30.1.92 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया।

86:6 शासनादेश स० 217/12/8-92 दिनांक 14.1.1992 द्वारा जारी निर्देश को प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराने हेतु प्रस्ताव।

शासन के उक्त आदेश से प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया। निदेशक प्रसार के पद पर नियुक्ति के प्रकरण में, शासन के आदेश के बावजूद, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर लिफाफा खोल कर डा० जे०पी० यादव को नियुक्त किया गया है तथा सहायक प्राध्यापक, एग्रीकल्चरल बायोकैमेस्ट्री के पद पर नियुक्ति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में विचाराधीन है। प्रबन्ध मण्डल का विचार है कि ऐसे और लोग भी न्यायालय जा सकते हैं। जिसके कारण पैरवी में विश्वविद्यालय का अनावश्यक व्यय होगा। अत: प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में शासन के पास विस्तृत आख्या शीघ्र भेजकर आदेश प्राप्त कर लिये जाये।

क्रमश: 3

86:7 प्रबन्ध मण्डल का निर्णय दिनांक 6.10.83 मदसं0 48:14।15। को निरस्त किया जाना ।

प्रबन्ध मण्डल ने आदेशित किया कि कुलपति महोदय स्वयं विश्वविद्यालय के अधिनियमों एवं परिनियमों । Act & Statutes । में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्णय ले ।

86:8 To accept the Adhoc Research Scheme entitled "Studies on superovulation, synchronization of Oestrus and Embryo transfer for augmenting productivity in Bhadawari Buffaloes"

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा निर्देश दिया कि इस योजना में प्राविधानित पदों तथा विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त होनेवाले शोध अधिकारियों से रिक्त होने वाले पद को भरने के लिये उ0प्र0 शासन को लिखा जाये ।

86:9 वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 31.10.91 में प्रस्तुत मदों पर लिये गये निर्णय प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रेषित ।

वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 31.10.91 में मदसं0 3,4,5 व 6 पर लिये गये निर्णयों पर प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया ।

86:10 डा0 के0एन0 तिवारी, चीफ साइंटिस्ट को उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ में उपमहानिदेशक ।मृदा विज्ञान। के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु दिनांक 16.2.91 से 15.2.93 तक का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 तिवारी, का धारणाधिकार 16.2.91 से 15.2.93 तक सुरक्षित रखने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

86:11 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।

एस0-1 डा0 शमीम अहमद खाँ, सह प्राध्यापक, एग्रोफारेस्ट्री द्वारा विश्वविद्यालय के आवास स0एफ0एस0क्वार्टर न0 2 में लगा विश्वविद्यालय ताला को तोड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के आरोप में जारी निलम्बन आदेश के अनुमोदन पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 खाँ का निलम्बन आदेश सं0वीसीसी/सी-118/1323 दिनांक 25.3.92 को अनुमोदित किया तथा अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

क्रमशः:....... 4

एस0-2 विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

पत्र लिखा जाये

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया तथा निर्णय लिया कि " रिवाल्विंग फण्ड" को रू0 50 लाख करने के लिये शासन को लिखा जाय।

एस0-3 विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता के रूप में रू0 35/- के स्थान पर रू0 100/- प्रतिमाह किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

इस प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि 85वीं बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन के अन्तर्गत मदस0 85:17 के संदर्भ में दिये गये निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाये।

एस0-4 डा0 एस0पी0 तिवारी, कुलसचिव के दिनांक 30.1.92 से अवकाश पर चले जाने के फलस्वरूप रिक्त कुलसचिव पद का अतिरिक्त कार्य कुलपति द्वारा सम्पादित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिये कि कुलसचिव के पद को भरने की कार्यवाही तुरन्त की जाये तथा इस पद का कार्यभार अधिनियम एवं परिनियम (Act & Statutes) के अनुसार किया जाये।

एस0-5 डा0 एम0पी0 गुप्ता, आचार्य, डेरी साइंस, वेटरीनरी कालेज मथुरा को उनके पूर्व विभाग में प्राप्त वेतन के बराबर जो एक वार्षिक वेतन वृद्धि के समकक्ष है, को संरक्षित किये जाने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 गुप्ता को नियुक्ति के दिनांक से एक वेतन वृद्धि देने की अनुमति प्रदान की।

एस0-6 डा0 जे0एस0 सिन्धू द्वारा दिनांक 19.11.81 से 9.12.82 तक कनाडा में रहने की अवधि का अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव।

Estt. को पुनः लिखा जाये।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस प्रस्ताव पर स्टैन्डिंग काउन्सिल की राय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

एस-7 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के पद की शैक्षिक अर्हताओं पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें रखी जाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल ने लिया।

एस-8 उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत किये गये आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश को इस विश्वविद्यालय में भी लागू किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।-----

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया लेकिन आरक्षण शासन की नीति के अनुसार किया जाये ।

एस-9 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार रू0 25/-प्रतिदिन पाने वाले कर्मचारियों को रू0 750/- तथा रू0 30/- प्रतिदिन पाने वाले कर्मचारियों को रू0 900/- प्रतिमाह निर्धारित वेतन देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार ।-----------------------------------

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि कथित प्रस्ताव शासन को संदर्भित करके उचित आदेश प्राप्त कर लिया जाये ।

एस-10 बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत भरारी, झांसी में एग्रीकल्चरल एक्सपेरीमेन्ट स्टेशन की स्थापना ।---

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को आगामी बैठक में रखा जाये ।

एस-11 डा0डी0एन0 भारद्वाज, सी0पी0सचान, महक सिंह एवं ओ0पी0 सिंह के संयुक्त प्रत्यावेदन पर महामहिम कुलाधिपति के आदेश स0ई-661/जी0एस0 दिनांक 31.1.92 में दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु प्रस्ताव ।------

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

एस-12 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को परिचालन द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर लियें गये निर्णयों का औपचारिक अनुमोदन ।---------------------

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया ।

एस-13 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वर्ष 1991-92 का वास्तविक आय व्ययक तथा वर्ष 1992-93 के अनुमानित आय व्ययक के अनुमोदन का प्रस्ताव ।------------------------------------

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया ।

अनुमोदित

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल